

प्रस्तुत
आज दि. 7-2-17 को

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. 586-I-17

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने


बावत् ।

पक्षकार -

श्री गोपाल मसराम उम्र 57 वर्ष पिता राम चरण मसराम जाति
(गौड़ आदिवासी) निवासी- ग्राम खुरसी पोस्ट सगड़ा झपनी, तह. व
जिला जबलपुर ।

विरुद्ध

1. श्री संतोष कुमार साहू उम्र 28 वर्ष पिता श्री विष्णु प्रसाद साहू
(गैर आदिवासी) निवासी गोहलपुर जाग्रति नगर अमखेरा जिला
जबलपुर (म.प्र.) ।
2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर (म.प्र.) ।



28 JAN 2017

अपील अंतर्गत धारा 35(4) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

1. माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 39/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दि. 09/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(4) के तहत यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।
2. यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी श्री गोपाल मसराम उम्र 57 पिता राम चरण मसराम जाति (गौड़ आदिवासी) निवासी- ग्राम, खुरसी पोस्ट सगड़ा झपनी तह. व. जिला जबलपुर द्वारा ग्राम डोली प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा कमश: नं. 13, 74 रकवा कमश: 2.160, 1.00 हेक्टेयर जमीन का विक्रय करने को सौदा गैर आदिवासी व्यक्ति से तय किया गया है। गैर आदिवासी व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 17/11/2016 (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

P/s

XXXIX(a)BR(H)-11


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 586-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.2.17	<p>यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 39/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 09-1-17 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी क्रं. 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 9-1-17 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । अपीलार्थी द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है ।</p> <p>3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी गोपाल मसराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । आवेदन में अपीलार्थी द्वारा ग्राम डोली प0ह0नं0 22 रा0नि0मं0 इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 74 रकबा 1.00 हैक्टर</p>	





- 3 -
20/586-1/17

गोपाल मसराम विरुद्ध संतोष कुमार साहू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>एवं खसरा नंबर 13 रकबा 2.160 हैक्टर भूमि को गैर आदिम जनजाति सदस्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय हेतु आवेदित प्ररणाधीन भूमियां अपीलार्थी की स्वअर्जित भूमियां है शासन से प्राप्त भूमियां नहीं है। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्ररणाधीन भूमियों के अतिरिक्त ग्राम खापाग्वारी, ग्राम हिनौतिया, ग्राम महगवां एवं ग्राम परतला में 5.020 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/केता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है। चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है। प्रकरण की समय परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्ररणाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिलाध्यक्ष, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 09-1-17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी गोपाल मसराम को उसके स्वामित्व की ग्राम डोली प0ह0नं0 22 रा0नि0मं0 इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित प्ररणाधीन भूमि खसरा नंबर 74 रकबा 1.00 हैक्टर</p>	




XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 586-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
R/174	<p>एवं खसरा नंबर 13 रकबा 2.160 हेक्टर भूमि को गैर आदिम जनजाति सदस्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none">1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अधिक राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी ।3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा । <p>अपील तदनुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।</p> <p style="text-align: center;"> (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</p>	